



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

कर प्रकरण क्रमांक 41/2007

अपीलार्थी : भारत संघ

बनाम

प्रत्यर्थी : मैसर्स भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-जी के अंतर्गत अपील

युगलपीठ: सतीश के. अग्निहोत्री एवं माननीय श्री राधेश्याम शर्मा,

न्यायाधीशगण

उपस्थित: श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से।

श्री एम.पी. देवनाथ के साथ श्री आदित्य भट्टाचार्य,

अधिवक्ता, प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय

(दिनांक 21 नवंबर, 2011 को परिदत्त)

न्यायाधीश श्री सतीश के. अग्निहोत्री, द्वारा

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-जी के तहत यह तात्कालिक अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली, (संक्षेप में



“अधिकरण”) द्वारा अपील क्रमांक एसटी/25/2006, एसटी /75/2006 में दिनांक 03.04.2007 के आदेश (अनुलग्नक ए/1) के विरुद्ध निर्देशित है।

2. राजस्व की अपील को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2010 को विधि के निम्नलिखित सारवान

प्रश्नों पर सुनवाई के लिए ग्रहण किया गया था:

1. क्या प्रत्यर्थी, वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय-(5) के उपबंधों के अधीन, अपनी परेषण अभिकर्ताओं (कंसाइनमेंट एजेंट्स) से प्राप्त सेवा के संबंध में अवधि 16.07.1997 से 31.08.1999 के दौरान सेवा कर का भुगतान करने के लिए दायी है?

2. क्या अपीलीय अधिकरण, अपीलीय आयुक्त द्वारा दिए गए कारणों पर विचार किए बिना, यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित था कि प्रत्यर्थी को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस परिसीमा से बाधित था, जबकि अपीलीय आयुक्त ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अपीलार्थी को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस जहाँ तक वह अवधि 16.10.1998 से 31.08.1999 से संबंधित है, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 के अधीन परिसीमा से बाधित नहीं था?

और

3. क्या दोनों फोरम, अर्थात् अपीलीय आयुक्त और अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 के गलत निर्वचन पर आधारित हैं?"

3. राजस्व द्वारा यथा प्रस्तुत संक्षेप में तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी कंपनी केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 76 के अधीन आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में लगी हुई थी। राजस्व के लिए विद्वान अधिकरण के अनुसार, “क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट” द्वारा प्रदत्त सेवा दिनांक 16.07.1997 से सेवा कर योग्य थी। सेवा कर



नियम, 1994 में संशोधन द्वारा सेवाग्राही को सेवा कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। प्रत्यर्थी को परेषण अभिकर्ताओं से प्राप्त सेवाओं के संबंध में वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय-(5) के उपबंधों के अधीन सेवा कर पंजीकरण प्राप्त करने, विवरणी दाखिल करने और कर दायित्व का निर्वहन करने की भी आवश्यकता है। सी.क्रमांक(5) (सर्विस टैक्स) 4-41/ए.डी.जे./बिल/2002/3769 के अधीन दिनांक 02.07.2002 को एक कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक ए/2), समाशोधन एवं अग्रेषण अभिकर्ता पर 1,97,35,583/- रुपये की सेवा कर की वसूली के लिए प्रत्यर्थी-निर्धारिती को इसलिए जारी किया गया था। सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिलासपुर प्रभाग, ने मूल आदेश संख्या

17/एस.टी.ए.एक्स./ए.डी.जे./05 द्वारा दिनांक 13.04.2005 को (अनुलग्नक ए/3) उपरोक्त

शुल्क की मांग की पुष्टि की और शस्तियों तथा ब्याज अधिरोपण का आदेश दिया।

4. दिनांक 13.04.2005 के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने आयुक्त, (अपील) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त (अपील), ने अपील संख्या 121/आर.पी.आर.-आई./2005 में दिनांक 20.10.2005 के आदेश द्वारा (अनुलग्नक ए/4) यह अभिनिर्धारित करते हुए 15.09.1998 तक की अवधि के लिए सेवा कर की मांग समाप्त कर दी कि सेवा प्रदाता को कर का भुगतान करना होगा, किंतु 16.09.1998 के पश्चात् देय 1,35,47,981/- रुपये की मांग की 15.09.1998 के पश्चात् की अवधि के लिए पुष्टि की।

5. राजस्व ने व्यथित होकर, 15.09.1998 तक की अवधि के लिए सेवा कर की मांग समाप्त किए जाने के विरुद्ध अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की। निर्धारिती ने भी 16.09.1998 के पश्चात् की अवधि के लिए मांग की पुष्टि के उसी आदेश के विरुद्ध अपील संख्या एस.टी./25/06 में अपील दाखिल की। अधिकरण ने दोनों अपीलों की एक साथ सुनवाई की और यह अभिनिर्धारित किया कि संबंधित कारण बताओ नोटिस परिसीमा से बाधित था क्योंकि यह सुस्थापित है कि जहां किसी भी मुद्दे पर अधिकरण के परस्पर विरोधी विचार होते हैं, वहां विभाग के लिए मांग उठाने की विस्तारित अवधि उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए, यह अपील प्रस्तुत की गई है।



6. राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान काउंसिल श्री मनीष शर्मा ने यह निवेदन किया कि अधिकरण को गुण-दोषों के आधार पर मामले का विनिश्चय करना चाहिए था।

उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि निर्धारिती के पक्ष में सद्भावपूर्ण विश्वास का कोई प्रश्न ही नहीं था कि कर का भुगतान करना निर्धारिती का दायित्व नहीं था, और इस प्रकार, यह निर्धारिती के पक्ष में अनुतोष प्रदान करने का आधार नहीं हो सकता है। प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने, विभाग द्वारा किए गए कई अनुरोधों के बावजूद, अपने अंत में की गई गतिविधियों के विवरण को रोक लिया और कोई सकारात्मक कार्य प्रदर्शित करने में भी विफल रहा। क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट द्वारा प्रदत्त सेवाओं के सेवाग्राही पर 16.07.1997 से 16.07.1998 की अवधि के लिए सेवा कर का उद्ग्रहण, अधिनियम की धारा 65, 66 और 67 में संशोधन करके वित्त अधिनियम, 2000 की धारा 116 और 117 द्वारा पुनर्विधकृत किया गया था। अधिनियम, 2000 की धारा 65(6) के अधीन 'निर्धारिती' की परिभाषा के अंतर्गत, जिसे वित्त अधिनियम, 2000 की धारा 116 द्वारा संशोधित किया गया था, इसे "उसका एजेंट, या प्रत्येक व्यक्ति जो किसी क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को नियोजित करता है जिसके द्वारा पारिश्रमिक या कमीशन (जिस भी नाम से कहा जाए) उक्त एजेंट को ऐसी सेवाओं के लिए संदत्त किया जाता है" के रूप में परिभाषित किया गया था। इस प्रकार, सेवा कर का भुगतान करना निर्धारिती का दायित्व था।

7. अपने तर्क के समर्थन में, श्री शर्मा गुजरात अंबुजा सीमेंट लि. एंड अदर्स बनाम यू.ओ.आई.¹ के

एक निर्णय का अवलंब लेंगे। अधिनियम के संशोधित उपबंध के अधीन, जो दिनांक 16.10.1998 से प्रवृत्त (डब्ल्यू.ई.एफ.) हुआ, क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंटों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में सेवा कर के भुगतान का दायित्व नियमों के नियम 2(1)(डी)(iii) के अधीन विशिष्ट उपबंध बनाकर दिनांक 16.10.1998 से प्रवृत्त सेवाग्राही पर स्थानांतरित कर दिया गया था।

¹ 2005 (182) ई.एल.टी. 33 (एस.सी.)



8. निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम.पी. देवनाथ के साथ श्री आदित्य

भट्टाचार्य, अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के समर्थन में निवेदन करेंगे। श्री देवनाथ

भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लि. बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क

आयुक्त, रायपुर², लार्सन एंड टुब्रो लि. बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चेन्नई³,

कॉन्टिनेंटल फाउंडेशन जे.टी. वेंचर बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़⁴, जयप्रकाश

इंडस्ट्रीज लि. बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़⁵ का अवलंब लेंगे।

9. वह सुसंगत अवधि जिसके लिए, राजस्व के अनुसार, कर संदेय था, 16.07.1997 से

31.08.1999 थी। दिनांक 02.07.2002 को (अनुलग्नक ए-2) वित्त अधिनियम, 1994 की

धारा 68 के साथ पठित धारा 66 के उपबंधों के अधीन एक कारण बताओ नोटिस जारी किया

गया था, जिसे वित्त अधिनियम, 2000 की धारा 116 और 117 द्वारा पुनर्विधकृत किया गया

था, जिसमें निर्धारिती से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग

एजेंटों और परेषण अभिकर्ताओं द्वारा प्रदत्त सेवा के कारण 39,47,11,657/- रुपये के कर

योग्य मूल्य पर 5% की दर से 1,97,358/- रुपये की सेवा कर की राशि सेवा कर की

अपवचना करने के आशय से भुगतान क्यों नहीं किया गया। उक्त नोटिस का उत्तर दाखिल

किया गया। निर्धारिती को सुनने के पश्चात्, सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त, बिलासपुर, ने

दिनांक 13.04.2008 के आदेश (अनुलग्नक ए-4) द्वारा निम्नानुसार आदेश दिया:

² 2007 (8) एस.टी.आर. 27 (ट्राइब्यूनल-दिल्ली)

³ 2006 (3) एस.टी.आर. 321 (ट्राइब्यूनल-दिल्ली)

⁴ 2007 (216) ई.एल.टी. 177 (एस.सी.)

⁵ 2002 (146) ई.एल.टी. 481 (एस.सी.)



(i) 1,97,15,538/- रुपये (एक करोड़ सत्तानवे लाख पंद्रह हजार पाँच सौ

अठासी रुपये मात्र) की सेवा कर राशि का भुगतान करने के लिए।

(ii) अधिनियम की धारा 78 के साथ पठित धारा 76 के अधीन

1,97,15,583/- रुपये (एक करोड़ सत्तानवे लाख पंद्रह हजार पाँच सौ

तिरासी रुपये मात्र) की शक्ति का भुगतान करने के लिए।

(iii) सेवा कर अधिनियम, 1994 की धारा 77 के अधीन 1000/- रुपये

(एक हजार रुपये मात्र) की शक्ति का भुगतान करने के लिए।

(iv) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के अधीन यथासंशोधित ब्याज का भुगतान

करने के लिए, जो सुसंगत अवधि के दौरान प्रभावी दर पर होगा, जिसकी गणना

सेवा कर नियम, 1994 के नियम 7 के साथ पठित धारा 66, धारा 71ए के

अधीन परिकल्पित उपबंधों और प्रक्रिया के अनुसार भुगतान की नियत तारीख से

की जाएगी।

(v) अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा 75ए के अधीन 500/- रुपये (पाँच सौ रुपये

मात्र) की शक्ति का भुगतान करने के लिए।

- 10.** अपील में, आयुक्त (अपील) ने यह अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती 16.10.1998 से 31.08.1999 की अवधि के दौरान अपने परेषण अभिकर्ताओं से प्राप्त “क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग” सेवा पर सेवा कर भुगतान करने के लिए दायी था और इस प्रकार, उक्त अवधि के लिए सेवा कर की मांग को सही निर्धारित किया गया था। तथापि, शेष अवधि के लिए मांग को अपास्त किया गया था। अधिनियम की धारा 78 के अधीन अधिरोपित शक्ति की राशि को भी 16.10.1998 से 31.08.1999 की अवधि के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अवधारित



सेवा कर की तुल्य राशि तक घटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, धारा 75ए के अधीन अधिरोपित 500/- रुपये की शस्ति को सही ठहराया गया था और धारा 77 के अधीन अधिरोपित 1,000/- रुपये की शस्ति को अपास्त किया गया था।

- 11.** अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब कर की प्रयोज्यता के संबंध में भिन्न मत प्रचलित होते हैं, तो मांग उठाने के प्रयोजनों के लिए राजस्व के लिए विस्तारित अवधि उपलब्ध नहीं होती है। अधिकरण ने स्वयं परस्पर विरोधी विनिश्चय दिए थे और इस मुद्दे पर तत्पश्चात् एक बृहत्तर पीठ द्वारा विनिश्चय किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती के हिस्से में प्रक्रियागत असफलता सद्भावपूर्ण विश्वास का परिणाम थी कि वह विस्तारित अवधि के अधीन कर का

भुगतान करने के लिए दायी नहीं था। इस प्रकार, निर्धारिती की अपील स्वीकार की गई थी।

चूंकि मांग नोटिस को परिसीमा के आधार पर अभिखंडित किया गया था, इसलिए राजस्व की अपील को भी तदनुसार अस्वीकृत किया गया था।

- 12.** हम विधि प्रश्न संख्या 2 और 3 का विनिश्चय करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या मांग नोटिस, जहाँ तक वह 16.07.1997 से 31.08.1999 से संबंधित है, वित्त अधिनियम की धारा 73 के अधीन वर्जित था और यह भी कि क्या अधिकरण के साथ-साथ आयुक्त (अपील) ने भी वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 का सही निर्वचन किया है। निस्संदेह, अधिकरण द्वारा परस्पर विरोधी विनिश्चय पारित किए गए थे, जिनमें, कुछ मामलों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंटों द्वारा परेषणों का प्राप्तकर्ता होने के कारण सेवा कर का भुगतान करने के लिए दायी नहीं था।

- 13.** वित्त अधिनियम की धारा 73, जो निम्नानुसार पठित है:

कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन से बच जाना 73 । यदि—



(क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि निर्धारिती द्वारा किसी विहित अवधि के लिए धारा 70 के अधीन विवरणी दाखिल करने में चूक या असफलता के कारण या किसी विहित अवधि के लिए अपने मूल्यांकन के लिए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पूर्ण रूप से और सही ढंग से प्रकट करने में चूक या असफलता के कारण, उस विहित अवधि के लिए कर योग्य सेवा का मूल्य मूल्यांकन से बच गया है या कम मूल्यांकन किया गया है, या

(ख) खंड (क) में उल्लिखित निर्धारिती के हिस्से में कोई चूक या असफलता नहीं

होने के बावजूद, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास, अपने कब्जे में जानकारी के परिणामस्वरूप, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी विहित अवधि में मूल्यांकन योग्य

किसी कर योग्य सेवा का मूल्य मूल्यांकन से बच गया है या कम मूल्यांकन किया गया है, या

वह, खंड (क) के अधीन आने वाले मामलों में, पाँच वर्ष के भीतर किसी भी समय, और खंड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में, विवरणी दाखिल करने की तारीख से छह माह के भीतर किसी भी समय, निर्धारिती पर एक नोटिस तामील कर सकता है और कर योग्य सेवा के मूल्य का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ सकता है।





- 14.** चूंकि परस्पर विरोधी विनिश्चय हुए हैं, इसलिए मुद्दे को बृहत्तर पीठ को निर्देशित किया गया था, और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, पूर्वोक्त में अधिकरण ने अंतिम रूप से निम्नानुसार अभिनिर्धारित करते हुए विनिश्चय किया:

"11. इसलिए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि कमीशन के आधार पर भुगतान पर किसी अभिकर्ता द्वारा प्रिंसिपल के लिए केवल आदेश प्राप्त करना या बुक करना, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(25) के अधीन उस अभिव्यक्ति की परिभाषा के अर्थ के भीतर "समाशोधन एवं अग्रेषण अभिकर्ता" के रूप में सेवाएँ प्रदान करना नहीं होगा, जैसा कि प्रभात जरदा फैक्ट्री (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम सी.सी.ई., पटना में अधिकरण के विनिश्चय में अभिनिर्धारित किया गया है जो 2002 (145) ई.एल.टी. 222 = 2002 (50) आर.एल.टी. 326 (सी.ई.जी.ए.टी.-के.ओ.एल.) में रिपोर्ट किया गया है। प्रभात जरदा फैक्ट्री (प्राइवेट) लि. में विनिश्चय, उसके अधीन दिए गए पूर्वोक्त अनुपात की सीमा तक अभिखंडित किया जाता है। निर्देश का तदनुसार उत्तर दिया जाता है। इन सभी अपीलों को अब इस निर्णय के आलोक में और विधि के अनुसार गुण-दोषों के आधार पर विनिश्चय के लिए संबंधित खंडपीठ के समक्ष रखा जाएगा।"

- 15.** जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि विभिन्न मामलों में कोई विभिन्न मत था।

- 16.** कॉन्टिनेंटल फाउंडेशन जे.टी. वेंचर (पूर्वोक्त) में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:



"10. अभिव्यक्ति "दमन" का प्रयोग अधिनियम की धारा 11ए के परंतुक में "धोखाधड़ी" या "दुरभिसंधि" जैसे बहुत सशक्त शब्दों के साथ किया गया है और इसलिए, इसका सख्ती से अर्थान्वयन किया जाना है। सही जानकारी देने में केवल चूक तथ्यों का दमन नहीं है, जब तक कि यह शुल्क के भुगतान को रोकने के लिए जानबूझकर न हो। दमन का अर्थ है शुल्क के भुगतान से बचने के आशय से पूरी जानकारी प्रकट करने में असफलता। जब तथ्य दोनों पक्षों को ज्ञात होते हैं, तो एक पक्ष द्वारा वह करने में चूक जो वह कर सकता था, इसे दमन नहीं बनाएगी। जब राजस्व धारा 11ए के अधीन परिसीमा की विस्तारित अवधि का आवाहन करता है, तो तथ्यों के दमन को सिद्ध करने का भार उस पर डाला जाता है। एक अशुद्ध कथन को जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन के साथ समरूप नहीं किया जा सकता है। बाद वाले का तात्पर्य इस ज्ञान के साथ एक अशुद्ध कथन करना है कि कथन सही नहीं था।

12. जहाँ तक धोखाधड़ी और दुरभिसंधि का संबंध है, यह स्पष्ट है कि शुल्क से बचने का आशय इन्हीं शब्दों में निहित है। जहाँ तक तथ्यों के मिथ्या कथन या दमन का संबंध है, वे "जानबूझकर" शब्द से स्पष्ट रूप से योग्यता प्राप्त हैं, जो "तथ्यों का मिथ्या कथन या दमन" शब्दों से पहले है जिसका अर्थ है शुल्क से बचने के आशय के साथ। शब्दों का अगला समूह 'इस अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन' बाद में आने वाले शब्दों 'शुल्क के भुगतान से बचने के आशय के साथ' द्वारा फिर से योग्यता प्राप्त है। इसलिए, तथ्यों का दमन या मिथ्या कथन नहीं हो सकता है, जो जानबूझकर न हो और फिर भी धारा





11ए के परंतुक के प्रयोजन के लिए एक अनुमेय आधार का गठन करे। तथ्यों का मिथ्या कथन जानबूझकर होना चाहिए।"

17. वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65, 66 और 67 के उपबंधों के अधीन कारण बताओ नोटिस लगभग तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् 02.07.2002 को जारी किया गया था। यह वर्तमान मामला वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(ख) के अधीन आता है क्योंकि निर्धारिती के हिस्से में किसी विहित अवधि के लिए वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 70 के अधीन विवरणी दाखिल करने में या किसी विहित अवधि के लिए मूल्यांकन के लिए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पूर्ण रूप से और सही ढंग से प्रकट करने में कोई चूक या असफलता नहीं थी और उस विहित अवधि के लिए कर योग्य सेवा का मूल्य मूल्यांकन से बच गया है या कम मूल्यांकन किया गया है। इस प्रकार, यह वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(क) के परित्यय के भीतर नहीं आता है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(ख) के अधीन, यदि किसी विहित अवधि में मूल्यांकन योग्य कोई कर योग्य सेवा मूल्यांकन से बच गई है या कम मूल्यांकन किया गया है, तो मूल्यांकन अधिकारी अपने कब्जे में जानकारी के परिणामस्वरूप, विश्वास करने का कारण बनाने के पश्चात्, विवरणी दाखिल करने की तारीख से छह माह के भीतर नोटिस जारी कर सकता है। इस मामले में, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से परेषणों के संबंध में विवरणी दाखिल नहीं की गई थी। इस प्रकार, इसमें उत्पन्न विवादक मुद्दा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(ख) के की परिधि के भीतर आता है। तथापि, यदि किसी कर योग्य सेवा का निश्चित मूल्य मूल्यांकन नहीं किया गया था, तो कर से बचने का आशय होना चाहिए।

18. वर्तमान मामले में, चूंकि परस्पर विरोधी मत थे, यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि यह सद्भावपूर्ण संदेह की मात्रा है, और उस स्थिति में, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कर की अपवंचना करने का कोई आशय था। इस प्रकार, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 के अधीन यथा उपबंधित विस्तारित अवधि लागू नहीं होगी।



19. कॉन्टिनेंटल फाउंडेशन जे.टी. वेंचर (पूर्वोक्त) में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि शुल्क से बचने

के आशय के साथ तथ्यों का जानबूझकर दमन होना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों में और कई

विनिश्चयों के आलोक में, यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि विभिन्न

मामलों में अधिकरण द्वारा दिए गए विपरीत मतों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारिती का मामला

सद्भावपूर्ण संदेह की परिभाषा के भीतर आता है और उस स्थिति में, वित्त अधिनियम, 1994

की धारा 73 के अधीन यथा उपबंधित विस्तारित अवधि लागू नहीं होगी।

20. हमने अधिकरण और अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा की गई अभ्युक्तियों पर विचारपूर्वक ध्यान

दिया है। हम इस राय के हैं कि अधिकरण द्वारा लिया गया मत न्यायसंगत और उचित था, इस

प्रकार प्रश्न संख्या 2 और 3 का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया जाता है।

21. उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए, प्रश्न संख्या 1 का निराकरण करना आवश्यक नहीं है क्योंकि वही

गुण-दोषों पर से संबंधित है, जिस पर अधिकरण द्वारा भी विचार नहीं किया गया था और इस

अपील में इसका उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।

22. उपर्युक्त उल्लिखित कारणों से, अपील खारिज की जाती है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

सही/-

माननीय श्री राधेश्याम शर्मा

न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI

